गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय कोनी, बिलासपर - 495009 (छ.ग.)

दुरभाष: 07752-260017 फैक्स: 07752-260154

वेबसाइट : www.ggu.ac.in



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University aetablished by the Communication of the Commu Koni, Bilaspur-495009 (C.G.) Phone 07752-260017, FAX: 07752-260154 Website: www.ggu.ac.iii

S. No.145.8./Rec./Admn/2019

Bilaspur, Date- 15/11/2019

То

Dr. Devendra Nath Singh

569 C/498, Premnagar, Alam Bagh, · Lucknow (UP) - 226005

Your Application for the post of Professor in the Department of Hindi against Advt. Ref:-No.105/Rec/Admn/2019 dated 03-06-2019.

The Executive Council of the University at its meeting held on 15-11-2019 has been pleased to appoint you as Professor in the Department of Hindi in the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (CG) on the terms mentioned below:

Grade 1.

label 14, 144200-218200 (pre-revised 37400-67000+AGP 10000)

2. Salary As per rules

3. DA As per rules

4. Other allowances, if any As per rules

5. Age of superannuation: As per rules

6. Category UR

- 7. Your appointment is on probation for one year, which may, if needed, be extended to another year. The services of the appointee may be terminated if found unsatisfactory during the probation period. The decision of the University in this regard shall be final.
- You will be assigned university duties over and above your own and other official activities as and when 8. needed by the competent authority.
- The terms of the appointment and service conditions etc. are subject to the University Act, Statutes, 9. Ordinances, Rules and Regulations applicable from time to time.
- If it is found, at any point of time that the material facts has/have been hidden about the conduct or 10. eligibility to the post, your services may be terminated on this ground alone without serving any prior notice.
- 11. The new entrants will be governed under New Pension Scheme of GOI/UGC.
- 12. The appointment is subject to the verification of testimonials and if the verification reveals that the claim of the candidates is fake/false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further actions as may be taken as per rules.

De Huia

Please bring with you the following in original along with a set of Xerox copies duly attested:

- a. The High School Certificate or equivalent in proof of your date of birth / age.
- b. Certificates and Mark-Sheets of educational qualifications.
- c. Certificate of medical fitness.
- d. Character Certificate from a Gazetted Officer, and
- e. Caste Certificate (if applicable)

If you are already in service please bring the following original certificates from your present employer:

- a. Relieving Order.
- b. Last Pay Certificate
- c. Character Certificate.

If you accept the offer on the terms stated above, you are requested to submit your acceptance and report for duty within one month from the date of issue of this letter.

Note: In case staff quarters are available and allotted to an appointee, he/she will be required to stay in the staff quarters.

By order

Registrar (Acting)

Bilaspur Date-15-11-19

Endt No. 1459./Rec./Admn/2019

Copy to:

- 1. PS to Vice-Chancellor, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) for information.
- 2. The Dean, School of Studies in Arts, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) for information.
- 3. The Head, Department of Hindi , Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) for information & necessary action.
- 4. Finance Officer/ Internal Audit Section, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur for information and necessary action.
- 5. All the Deans, all Schools of Studies/All Heads of the Departments Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (CG) for information.
- 6. Deputy Registrar (Development), Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) for information.
- 7. Deputy Registrar (Academic), Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) for information.
- 8. Section Officer (Teaching Cell), Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) for information.

Assistant Registrar (Admn.)



# युवराज दल्त स्नातकोत्तर महाविधालय

लखीमपुर-खीरी

दिनांक: 25.8.2010

## अनापत्ति प्रमाण-प्रम

डा0 देवेन्द्र नाथ सिंह इस महाविद्यालय में 10 मार्च 1987 से हिन्दी प्रवक्ता पद पर अनवरत कार्यरत हैं। वर्तमान में रीडर पदनाम पर इनका मूल वेतन 46120+9000=55120 21

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में अगर इनकी नियुक्ति होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम डा0 देवेन्द्र नाथ सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

(डा० आर०के० सिंह)

पुष्यात एस्त सहरविधानव सर्वामपुर-सीरी

Y. D. Post Graduate College Lakhimpur-Kheri (U. P.)



वर्षे. सकुन्तासा निका राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यासम्य, जन्तनक असर प्रदेश सरकार Dr. Shahantala Minn National Robabilitation University, Lockney Occurrences of University

पत्रांक-<sup>1955</sup>/फारां0-1333/IQAC/DSMNRU/2018-19, लखनऊ दिनांक-14 12 2019

### //कार्यालय-ज्ञाप//

कार्यपरिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 16.03.2018 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक-2132/फा०सं०-36(पंचम)/DSMNRU/कार्यपरिषद्/2018-19, दिनांक 30.03.2018 के बिन्दु सं0-18/18 पर "विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की पूर्व संस्था की सेवाएं जोड़ने के सम्बन्ध में 'लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-807/फा०सं०-1317/डा०श०मि०रा०पु०वि०वि० /से०जो०/2018-19, दिनांक 21.08. 2018 के माध्यम से गठित समिति के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त आवेदन-पत्रों का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2010 के उपबन्ध 10.1 एवं उच्चशिक्षा अनुमाग, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010, दिनांक 03.12.2013 के बिन्दु सं0-15.32.01 के आलोक में परीक्षणोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवत्त अनुमोदन के क्रम में डॉ० देवेन्द्र नाथ सिंह, आचार्य हिन्दी, द्वारा उनकी पूर्व संस्था युवराजदत्त महाविद्यालय, लखीमपुर-खीरी में दिनांक 10 मार्च 1987 से दिनांक 13 मार्च 2011 तक की अवधि में की गई सतत् सेवा की गणना करने की स्वीकृति, सेवा निवृत्तिक देय लाभ एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कैरियर एड्वान्समेण्ट स्कीम के तहत प्रोन्नित का लाम अनुमन्य किए जान हेतु, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व संस्था में उनके सामान्य भविष्य निधि मद में कटौती के उपरान्त संचित धनराशि को वे विश्वविद्यालय के संगत कोष में जमा कराना सुनिश्चत करेगें।

(अमित कुमार सिंह) कुलसचिव

### प्रतिलिपि:-निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2. निदेशक, आई०क्यू०ए०सी०, विश्वविद्यालय।
- 3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
- 4. सम्बन्धित शिक्षक।
- 5. स्थापना अनुभाग, विश्वविद्यालय को सम्बन्धित शिक्षक की व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित करने हेतु।
- 6. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह) कुलसचिव



#### डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow जलर प्रदेश सरकार

पत्रांक / 0/५/फा०सं०-338/व्या०पत्रा०/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2019-20

लखनक दिनांक2 ठ नयम्बर 2019

#### // आदेश //

विश्वविद्यालय के नियुक्ति पत्रांकः 1409/फा०सं०-302/प्रो०नियु0/डी०एस०एम०आर०यू०/2010-11 दिनांक 07 मार्च, 2011 के क्रम में डॉ० देवेन्द्र नाथ सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, हिन्दी के पद पर दिनांक 14 मार्च, 2011 को पूर्वाहन में कार्यभार ग्रहण किया गया।

डॉo देवेन्द्र नाथ सिंह द्वारा दिनांक 18 नवन्वर, 2019 को प्रस्तुत प्रार्थना—पन्न के आधार पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में हिन्दी विभाग में प्रोफेसर के पद पर चयन होने के क्रम में इस विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

डौं0 सिंह द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2019 द्वारा किये गये अनुरोध एवं विश्वविद्यालय की कार्य पश्चिद की अनुमोदन की प्रत्याशा में डॉं0 देवेन्द्र नाथ सिंह प्रोफेसर, हिन्दी को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, कत्तीसगढ़ में प्रोफेसर, हिन्दी के पद पर योगदान किये जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यमुक्त किया जाता है—

 ठॉ० सिंह द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर, हिन्दी के पद पर योगदान किये जाने हेतु दिनांक 20 नवम्बर, 2019 की अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसर, हिन्दी के पद पर डॉ० देवेन्द्र नाथ सिंह की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष कार्यालय अभिलेखों के अनुसार 31 दिसम्बर, 2019 पूर्ण हो रही है, ऐसी स्थिति में 31 दिसम्बर, 2019 तक (41 दिवस का) असाधारण अवैतर्निक अवकाश रवीकृत किया जाता है, इसके उपरान्त इनके धारणाधिकार का दावा मान्य नहीं होगा।

डॉ० सिंह का वर्तमान में प्रोफेसर, हिन्दी के पद पर लेवल-14, ₹ 144200-218200 मूल वेतन
 ₹ 188200 है।

उपरोक्त कार्यमुक्त मा० कार्य परिषद के निर्णय के अधीन होगी।

(अमित कुमार सिंह) कुलसचिव

क्वांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।

तिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

मा० कुलपित महोदय को अवलोकनार्थ।

🗸 वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।

विभागाध्यक्ष, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग।

डॉं देवेन्द्र नाथ सिंह, प्रोफेसर, हिन्दी।

गार्ड फाइल।



(अमित कुमार सिंह) कुलसचिव